23/05/19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र तथा संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की फर्म जैसल केबल विजन को जैसलमेर शहर में स्थित विघुत पोल पर बांधे गये केबल तारों की एवज में नगर पालिका तथा जोधपुर विघुत वितरण निगम द्वारा अलग–अलग किराया राशि मांगे जाने के मांग पत्र के विरूद्ध अपर जिला न्यायाधीश जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.10.2016 के क्रम में प्रस्तुत किया गया है।

अपर जिला न्यायाधीश जैसलमेर के द्वारा प्रार्थीगणो की अपील को स्वीकार करते हुए अपने आदेश दिनांक 4.10.2016 में यह उल्लेख किया है कि राजस्थान नगर पालिका कानून की धारा 323 के बिन्दू संख्या 3 के अनुसार यानि "अन्य सभी मामलों में संभागीय आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विवाद का संज्ञान कर सकेगा और उसका विनिश्चय किया जायेगा जो विवाद का संज्ञान कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।" तथा अपीलान्टगण को निर्देश दिया कि वे एक माह के अन्दर नियमानुसार संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करें।

हमने अपर जिला न्यायाधीश जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश तथा राज0 नगरपालिका अधिनियम 2009 का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह वस्तुस्थिति सामने आई कि:––

1. राज0 नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 323 में यह उल्लेख किया गया है कि नगरपालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद कोई हो तथा सौहार्दपूर्ण रूप से समझौता नहीं होता है तो––
   - क. यदि विवाद उसी जिले की किसी अन्य नगरपालिका से या किसी पंचायत से हो तो कलक्टर विवाद का संज्ञान कर सकेगा और स्वयं उसका विनिश्चिय कर सकेगा तथा उसका विनिश्चिय अंतिम होगा और
   - ख. अन्य सभी मामलों में मामला संभागीय आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विवाद का संज्ञान कर सकेगा और उसका विनिश्चय किया जायेगा जो विवाद का संज्ञान कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

चूंकि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी एक निजी फर्म का प्रोपराईटर है और उसका विवाद नगरपालिका और जोधपुर विघुत वितरण निगम जैसलमेर से है। संभागीय आयुक्त न्यायालय को केवल मात्र दो स्थानीय निकायों/प्राधिकारियों के मध्य उपजे विवाद को सुलझाने/समझौता कराने तथा विधि अनुसार यथोचित निर्णय लिये जाने हेतु राज0 नगरपालिका अधिनियम की धारा 323 के तहत सुनवाई हेतु अधिकृत किया हुआ है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जोधपुर विघुत वितरण निगम स्थानीय प्राधिकरण है अथवा कम्पनी। इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर यह तथ्य ध्यान में आये कि जोधपुर विघुत वितरण निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 149(3) के तहत एक पंजीकृत कम्पनी संस्थित की गई है। इस प्रकार जोधपुर विघुत वितरण निगम कम्पनी कानून के तहत गठित कम्पनी है न कि स्थानीय प्राधिकरण।

ऐसे में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में विवाद निजी पक्षकार (प्रार्थी) एवं दोनों अप्रार्थी अर्थात नगरपालिका जैसलमेर (स्थानीय प्राधिकरण) व जो0 विघुत वितरण निगम (कम्पनी) के मध्य है जो राज0 नगरपालिका अधिनियम की धारा 323 में कवर नही होती है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की सुनवाई क्षेत्राधिकारिता में नहीं होने से क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर चाराजोही करें।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर